वज्रपात से एक की मौत दो झुलसे, भर्ती

संवाददाता

गावां/गिरिडीह। गावां थाना क्षेत्र के जमडार के जमुआ में गुरुवार की देर एक मिट्टी के घर पर वज्रपात गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई व एक बच्चा समेत एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस बाबत बताया गया की जमडार पंचायत के जमुआ गांव निवासी चैतु मुर्मू की पत्नी मैनो मंझियांन और 11 वर्षीय पुत्र सुखदेव मुर्मू के साथ एक ही खाट पर सोया हुआ था। गुरुवार की रात लगभग 1 बजे घर पर वज्रपात हो गया जिसमें चैतू मुर्मू की मौत हो गई व उनकी पत्नी और उनके पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। शुक्रवार की सुबह जमडार मुखिया प्रतिनिधि बलराम मुर्मू बोलेरो वाहन से गावां सीएचसी लेकर आए जहां डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने चैती मुर्मू को देखते ही मृत घोषित कर दिया व दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद गावां सीएचसी में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। इधर गावां पुलिस गावां सीएचसी से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्ट के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है।

सरकारी, गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों में आज होगी पूजा

संवाददाता

डुमरी/गिरिडीह। विद्यादायिनी मां सरस्वती पूजनोत्सव की सारी तैयारियां डुमरी क्षेत्र में हो चुकी है।प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाएगी।क्षेत्र में 5 फरवरी बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर इन संस्थानों द्वारा सुयोग्य ब्राह्मणों के नेतृत्व में पूजा विधान किया जाएगा।वहीं 6 फरवरी को प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु शोभायात्रा निकाली जाएगी।पूजा के अवसर पर शांति व सद्भाव बनाए रखने की दृष्टि से प्रशासन भी सतर्क है।पंडालों में अश्लील गाना न बजे,डीजे का उपयोग ना हो तथा शोभा यात्रा में शराबी व शरारती तत्व शामिल ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। एसडीएम प्रेमलता मुर्मू ने अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न संवेदनशील व अतिसंवेदनशील गांवों व पंचायतों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेटों की प्रतिनियुक्ति की है।इधर क्षेत्र के वरीय अधिवक्ता इंद्रजीत जायसवाल,अजय कुमार रजक,विजय पांडेय,संजय पांडेय, डॉ प्रदीप कुमार वर्णवाल , देवनन्दन प्रसाद,अनील कुमार रजक,केदार प्रसाद, उमाशंकर पांडेय,सहित समाज के कई प्रबुद्ध जनों ने पूजा आयोजकों से पूजा की गरिमा को बनाए रखने की अपील की है।

सरस्वती पूजा के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

गावा/गिरिडीह। सरस्वती पूजा को लेकर गिरिडीह एसपी अमित रेनू के निर्देश पर गावां में शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर गावां थाना प्रभारी पिंटू कुमार के नेतृत्व में गावां थाना से पुलिस बल के जवानों के साथ पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान तमाम पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने गावां के प्रमुख मार्गो का भ्रमण कर लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने की अपील की गई। इस बाबत गावां थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि सरस्वती पूजा को लेकर प्रखंड के संवेदनशील इलाकों के अलावा गावां बाजार, मंझने, नगवां, माल्डा, पिहरा आदि तमाम इलाकों में पैदल मार्च निकाला गया और लोगों से अपील की गई कि वह किसी भी प्रकार के अभाव में ना पड़ें, अगर किसी को कोई सूचना मिलती है, तो वे तुरंत ही इस मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दे। उन्होंने तमाम पूजा समितियों से अपील की कि पूजा पंडाल में रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाए।

तिसरी में पूजा के लिए फ्लैग मार्च

तिसरी/गिरिडीह। तिसरी- प्रखंड के तिसरी, चंदौरी, पलमरुआ,ककनी आदि कई बाजार व गांवों में पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाल कर सरस्वती पूजा में शांति बनाए रखने की अपील एफसी की गई।फ्लैग मार्च सीओ असीम बाडा के नेतृत्व में की गई।बता दे कि तिसरी गांधी मैदान से तिसरी चौक तक पैदल मार्च थाना प्रभारी पीकू प्रसाद,एसआइ रोशन सिंह,जिन्दर उरांव,अमित कच्छप,आमोद सिंह,अमोद कृष्ण झा सहित दर्जनों महिला व पुरुष पुलिस जवान किए।इस दौरान तिसरी चौक पर स्थित मुख्य सड़क किनारे खड़ी दो व चार पहिया वाहनों को हटाया गया।सब्जी व फल बेच रहे किसान व व्यवसायियों को सड़क किनारे नही लगा कर भण्डारी रॉड स्थित यात्री सेठ के पास लगाने का निर्देश दिया गया।ताकि मुख्य सड़क पर वाहनों की आवागमन में परेशानी न हो,कोई अप्रिय घटना नही घटे।इसके पश्चात चंदौरी, पलमरुआ,ककनी आदि गांव में भी पैदल मार्च कर लोगो को शांति कायम रखने का संदेश दी गई।सीओ असीम बाडा ने कहा कि पूजा शांति पूर्वक व सौहार्द से मनाए।पूजा में हुडगंग करने वाला को बख्शा नही जायेगा।

सरस्वती पूजा को लेकर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित

गावां/गिरिडीह। गावां में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने को लेकर गावां थाना में शांति समिति की बैठक बुलाई गई. इस मौके में थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी दी। थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि सरस्वती पूजा मनाने पर कहीं से कोई रोक नहीं है. इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. उसी गाइडलाइन के अनुसार पूजा का आयोजन होगा। किसी भी कीमत पर पूजा या विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। प्रखंड ही नहीं, प्रखंड के अन्य क्षेत्रों में भी यह नियम लागू रहेगा। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव ने गावां थाना प्रभारी से कहा कि गावां थाना में महिला पुलिस का मांग जिला पुलिस अधीक्षक से मांग करें। ताकि गावां थाना में महिला को गिरफ्तारी करने में सुविधा हो सकें। थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि कहीं से डीजे बजने की सूचना मिलेगी तो उसे जब्त कर लिया जाएगा. इसके लिए डीजे संचालकों को भी निर्देश दिया गया है। बैठक में जीप सदस्य इमरान अंसारी, उपप्रमुख नवीन कुमार, विजय यादव, अजय कुमार, बजरंगी पांडेय, सबदर अली, मनीष कुमार, भाकपा माले प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव, कन्हाई राम, अयूब खां समेत कई लोग उपस्थित थे।

गिरिडीह में दो साल बाद स्कूल खुले, छात्रों के चेहरे खिले

गिरिडीह। कोरोना महामारी के खतरे के बीच दो साल बाद कक्षा एक से 12वीं तक स्कूल खुला तो गिरिडीह में भी छात्रों में उत्साह दिखा। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके के स्कूलों में स्टूडेंट्स शुक्रवार को क्लॉस अटेंड किया। और पढ़ाई करते नजर आए। हालांकि छात्रों की उपस्थिति कम ही रही। शिक्षिका पृथा सिन्हा बताया कि ऑनलाइन क्लास में विद्यार्थी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। इसी क्लास के छात्र अक्षत स्कूल खुलने से काफी खुश हैं उनका कहना है कि स्कूल बंद रहने से वो अपने दोस्तों से दूर था इसकी वजह से उसे मन नहीं लग रहा था। अब वो पहले की तरह स्कूल आना चाहता है।

अंतरराष्ट्रीय कथावचक ने धुरगडगी में प्रवचनों से बांधा समा

जमुआ/गिरिडीह। सत्संग से न केवल मन पवित्र होता है बल्कि ज्ञान की चक्षु खुलते हैं और भक्ति का प्राकट्य होता है। उक्त बातें अन्तर्राष्ट्रीय कथावचक महेश गुरु ने जमुआ के धुरगदगी में शतचंडी यज्ञ के दूसरे दिन प्रवचन मंच से कही।कहा कि बिनु हरि कृपा के सन्त नही मिल सकते और बिना सन्त से मिलन के भगवंत के दर्शन दुर्लभ है।कहा ब्यथा को हरने वाली भगवत कथा है। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक हैं।जब भी जरूरत पड़ी विभिन्न रूपों में अवतरित हुए हैं।कहा माँ परा अम्बा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी है और संसार की माता है।कहा रामायण के भगवान व देवी भागवत की जगदम्बा अलग कहा धरती में जहां यज्ञ सत्संग होते हैं वही स्वर्ग है।जहां मिथ्याचार, अनाचार व दुर्विचार होते हैं वही नरक है। यज्ञ में बड़ी संख्या लोग उमड़ रहे हैं। भब्य पांडाल व मंच बने हैं। सुबह यज्ञ मण्डप में पूजा परायण व वैदिक ऋचाओ का सस्वर पाठ वैदिक पंडितों की टीम द्वारा की जाती है। पूरे गांव के एक किलोमीटर की परिधि को लाइट झंडे पताके व तोरण द्वार से सजा दिया गया है।यज्ञ के आचार्य चन्दन शास्त्री एवं संरक्षक रामानन्द राय हैं। यज्ञ की ब्यवस्था में सुबल राय,मंटू राय, अंकित गुप्ता, झरी महतो,दिगम्बर प्रसाद दिवाकर सांसद प्रतिनिधि गंगाधर वर्मा,इन्द्रनारायण वर्मा आदि शामिल हुए हैं।

पूर्व मध्य रेल

ई–निविदा सूचना

ई सीआर–सीएओ–कॉन–उत्तर–ई. निविदा/उत्तर–35–21–22, दिनांक 03.02.2022

ई. निविदा सूचना सं.– पू.म.रे.–मु.प्र.अनि.–उत्तर– ईटीएन – 35–21–22

भारत के राष्ट्रपति के तरफ से निम्न कार्यों हेतु ई. निविदा आमंत्रित की जाती है। **क्रम सं.: 1, कार्य का नाम :** मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि./उत्तर, पूर्व मध्य रेल के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के बी.जी. ट्रैक हेतु पाकुर क्वेरी से 100000 घनमीटर, 50 मिमी आकार की मशीन द्वारा तोड़ी गयी गिट्टी जो आर.डी.एस.ओ. के मापदंड को पूरा करती हो, की आपूर्त्ति एवं रेलवे के किसी भी वैगन में लदान।, **क्रम सं. : 2, कार्य का आकलित मूल्यः** रू. 13,27,93,000/–, **क्रम सं. : 3, कार्य का अग्रधन राशि :** रू. 8,14,000/–, **क्रम सं. : 4, निविदा बंद होने की तिथि एवं समय :** 25.02.2022, 14.30 बजे।, **क्रम सं. : 5, वेबसाईट का विवरण, नोटिस बोर्ड जहाँ पर निविदा का पूर्ण विवरण देखा जा सकता है तथा कार्यालय का पता जहाँ पर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकता है इत्यादि। :** उपरोक्त ई–निविदा के ई–निविदा दस्तावेज सहित संपूर्ण जानकारी वेबसाईटः **http://www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध होगें। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/उत्तर/पूमरे/महेन्द्रूघाट, पटना के कार्यालय में देखा जा सकता है। **द्रष्टव्य :** प्रत्याशित निविदाकारों को यह सलाह दी जाती है कि इस ई–निविदा के लिए जारी कोई भी परिवर्त्तन/ शुद्धिपत्र की ओर ध्यान देने के लिए वे निविदा बंद होने की अंतिम तिथि से कम से कम पन्द्रह दिन पहले वेबसाईट **http://www.ireps.gov.in** का अवलोकन करें।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/उत्तर, पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रूघाट, पटना

पीआर/01625/कॉन/इंजी./टी/21–22/48

पूर्व मध्य रेल

ई-निविदा सूचना

GeM Bid No. GEM/2022/B/1913849

दिनांक 02/02/2022

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के निष्पादन के लिये तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय क्षमता एवं पर्याप्त अनुभव रखनेवाले ख्यातिलब्ध प्रतिष्ठानों/ एजेंसियों/ संवेदकों "टू पैकेट सिस्टम" पर ई–निविदायें आमंत्रित है। **(i) कार्य का नाम, स्थान तथा समापन अवधि :–** धनबाद डिवीजन के अंतर्गत पारसनाथ स्टेशन का दो (02) वर्ष (अर्थात 730 दिन) की अवधि के लिए यंत्रीकृत सफाई और हाउसकीपिंग का काम। कार्य समापन अवधि – 02 वर्ष। **(ii) कार्य की अनुमानित लागत :–** रु. 1,57,10,058.15 (एक करोड़ सत्तावन लाख दस हजार अट्ठावन रुपये पन्द्रह पैसे) मात्र, **(iii) बयाना राशि :–** रु. 3,14,201.00 (तीन लाख चौदह हजार दो सौ एक रुपये) मात्र। **(iv) ई–निविदा बंद होने की तारीख एवं समय :–** तारीख 23/02/2022 को 16:00 बजे, **ई–निविदा खुलने की तारीख एवं समय :–** तारीख 23/02/2022 को 16:30 बजे । **(v) वेबसाईट विवरण :– https://gem.gov.in** ई–निविदा के तहद मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार नही की जाएगी।

मंडल यांत्रिक अभियंता (समाडि)/धनबाद

पीआर/1619/डीएचएन/एमईसीएच/टी/21–22/36

चर्चित खोरठा-नागपुरी के अभिनेता बंटी सिंह के निधन पर शोकसभा

संवाददाता

गिरिडीह। झारखंड के चर्चित खोरठा नागपुरी के सुपरस्टार अभिनेता बंटी सिंह के आकस्मिक निधन पर फिल्म जगत से जुड़े व अन्य लोगों ने शुक्रवार को झंडा मैदान में शोक सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरूआत सबसे पहले उपस्थित झारखंडी फिल्म से जुड़े निमार्ता-निर्देशक, कैमरामैन, एडिटर, कलाकार सहित कई लोगों ने स्वर्गीय बंटी सिंह की तस्वीर पर पुष्प व श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। साथ ही उपस्थित लोगों ने उनके आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण कर ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस दौरान स्थानीय झारखंडी फिल्म निमार्ता सह एसोसिएशन ऑफ झारखंडी सिनेमा के अध्यक्ष ब्रज मोहन तुरी ने कहा कि सुपरस्टार बंटी सिंह के आकस्मिक निधन से पूरा झारखंडी सिनेमा जगत में काफी क्षति हुई है। उनके मृत्यु से सभी स्तब्ध है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने झारखंड सरकार से अपील की है कि बंटी सिंह के परिवार को सहायता राशि के तौर पर 10 लाख रुपए प्रदान करें ताकि उनके परिवार का भरण-पोषण हो सके। फिल्म निर्देशक संजय भारती ने कहा कि इतने कम समय में बंटी सिंह इस दुनिया से चले जाने के कारण फिल्म जगत में एक युग का समाप्त जैसा प्रतीत हो रहा है। मौके पर गौतम सिंह, धीरज पांडे, नागेश्वर राम, आशीष दास, प्रेम कुमार, संतोष कुमार कुशवाहा, मुकेश ओझा, सुरेश राय, उत्तम चक्रवर्ती समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित थे।

झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण,
भगवान बिरसा जैविक उद्यान,चकला (ओरमाँझी),राँची
ईमेल : jharkhandzooauthority@gmail.com

निविदा सूचना

भगवान बिरसा जैविक उद्यान के वन्यप्राणियों के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में आहार सामग्रियों की आपूर्ति हेतु इच्छुक एवं अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से सील बंद लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती है।

1.	निविदा सं0	आ0सा0 01/2022–23
2.	निविदा प्रपत्र एवं अभिलेख की प्राप्ति आरंभ की तिथि	09.02.2022
3.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	03.03.2022 (अपरा0 1.00 बजे तक)
4.	निविदा समर्पित करने का स्थान	कार्यालय : सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, चकला, ओरमांझी, राँची– 835219
5.	निविदा खोले जाने की तिथि/समय	03.03.2022 (1.30 बजे अपरा0)
6.	निविदा खोले जाने का स्थल	कार्यालय : सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, चकला, ओरमांझी, राँची– 835219
7.	निविदा प्रपत्र मूल्य एवं EMD की राशि (तकनीकी बिड के साथ)	सामग्री — निविदा प्रपत्र का मूल्य — EMD (क) सूखी सामग्रियाँ 10000/– 180000/– (ख) महिशमांस (हड्डी रहित एवं सहित) 10000/– 100000/– (ग) मुर्गा, मछली इत्यादि। 5000/– 110000/– (घ) फल, सब्जी इत्यादि। 5000/– 110000/–

निविदा शर्ते एवं निविदा प्रपत्र सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, ओरमांझी, राँची के कार्यालय से यथा निर्दिष्ट अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट www.birsazoojharkhand.in से डाउनलोड किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा वेबसाईट देखा जा सकता है।

ह0/–
सदस्य सचिव
झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण,राँची

PR 263275 Jharkhand Zoo Authority(21-22).D

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, चतरा
(समाज कल्याण शाखा)

–::आमसूचना::–

चतरा जिले के सखी–वन स्टॉप सेन्टर में विभिन्न सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पदों यथा केन्द्र प्रशासक, केस वर्कर, परामर्शदात्ता, इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहु उद्देश्य सहायक एवं सिक्युरिटी गार्ड के विरुद्ध सेवाएँ प्राप्त करने हेतु अद्योहस्ताक्षरी के ज्ञापांक सं0–18/स0क0 दिनांक–05.01.2021 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन को विभाग द्वारा प्रदत्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0–7880 दिनांक–09.11.2021 एवं संकल्प सं0–821 दिनांक–05.02. 2021 में निहित दिशानिर्देश के आलोक में एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

उपायुक्त,
चतरा

PR 263186 Social Welfare,Women and Child Development(21-22).D

झारखण्ड सरकार
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय
(पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग)
Phone: 0651-2401917, E-mail-dirjharkhandculture@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के आयोजन के क्रम में आवश्यक स्थानीय परिवहन व्यवस्था निमित्त तथा निदेशक, संस्कृति/कार्यालय हेतु मासिक परिचालन पर आवश्यकतानुसार भाड़े पर वाहन लिये जाने निमित्त केवल व्यावसायिक रूप से निबंधित फर्मो से ए०सी० एवं नॉन ए०सी० वाहनों के मासिक परिचालन, स्थानीय परिचालन एवं मुख्यालय से बाहर के परिचालन हेतु किराये के दर निर्धारण हेतु मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक निविदादाता, निविदाएँ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के तृतीय तल आगत निर्गत शाखा में स्वयं या अपने नामित प्रतिनिधि के द्वारा दिनांक 24.02.2022 को पूर्वा० 11.00 बजे तक समर्पित कर सकते हैं। निविदा की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट एवं वेबसाईट www.jharkhandculture.com पर उपलब्ध है। इस निविदा से संबंधित अनुवर्ती/बाद की आवश्यक संशोधन आदि निदेशालय के वेबसाईट www.jharkhandculture.com पर ही उपलब्ध होगी। निविदा को किसी भी स्तर पर संशोधित, रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

निदेशक, संस्कृति
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची

PR 263165 Art Culture Sports and Youth Affairs(21-22)#D

सार्वजनिक सूचना

आईसीआईसीआई बैंक

शाखा कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, लैंडमार्क बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 228ए, एजेसी बोस रोड, कोलकाता 700020
CIN No.: L65190GJ1994PLC021012, www.icicibank.com

नीचे उल्लेखित कर्जदारगण बैंक से हासिल ऋणों की सुविधा के तहत प्राप्त मूल धन एवं ब्याज की रकम चुकता करने में विफल हो चुके हैं तथा ऋणों को अनर्जक सम्पत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन एक सूचना उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पते पर भेजी गई थी, हालांकि उसे सेवित नहीं किया जा सका था तथा अतएव उन्हें एतद्द्वारा इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम (ऋण खाता संख्या) एवं पता	प्रत्याभूत सम्पत्ति/कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति का पता	भेजी गई सूचना की तिथि/सूचना की तिथि को बकाया राशि	एनपीए की तिथि
1.	मुम्बई बाजार/सविंदर कौर, कंवलजीत सिंह (गारंटर)/सविंदर कौर (गिरवीदाता)/पहली मंजिल, ओबीरेनू टावर एसएनपी एरिया साकची पूर्वी सिंहभूम, केएफसी के ऊपर, झारखण्ड, जमशेदपुर 831001/ 334605500090/ 334655000023	शॉप नं. 8, 9, 10 एवं 40, दूसरी मंजिल, सेंटर प्वाइंट, प्लॉट नं. 3385 से 3389, कलरास रोड, थाना बैंक मोड़, जिला-धनबाद, वार्ड नं. 21, नया वार्ड नं. 32, मौजा धनबाद, मौजा नं. 51, झारखण्ड धनबाद, क्षेत्र का परिमाप प्रत्येक शॉप का सुपर बिल्ट अप एरिया-903 वर्ग फीट। कुल क्षेत्रफल 3612 वर्ग फीट	31.12.2021 रु. 1,48,62,989.38	06/05/2021

सूचना की वैकल्पिक सेवा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ऊपरोक्त कर्जदारों तथा/अथवा उनके गारंटीदाताओं (जहां लागू है) को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के अंदर बकाया राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तारीख : 05 फरवरी, 2022
स्थान : झारखण्ड

अधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

एक झलक

पति ने पत्नी की पीट-पीटकर की हत्या

डुमरी/गिरिडीह। एक महिला को अपने शराबी,सरफिरा और सनकी पति को शराब पीने और जुए खेलने के लिए पैसा नही देने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।घटना निमियाघाट थाना क्षेत्र के रांगामाटी गांव की है।मामले की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी गोपाल कुमार महतो के नेतृत्व में पुलिस घटना स्थल पर पहुंच कर मृतका के शव को बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि यशोदा का पति नियमित अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे मांगा करता था।कई बार घर के सामान बेच कर भी शराब पीता था। इससे उसकी पत्नी परेशान थी। गुरूवार रात पति अपनी पत्नी से पैसे की मांग की तो पत्नी ने पैसे देने से इंकार कर दिया।

सोलर बैटरी जोड़ने के दौरान ब्लास्ट, किशोर घायल

गावां/गिरिडीह। गावां थाना क्षेत्र के सांख गांव में बैटरी ब्लास्ट होने से एक 10 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान सांख निवासी परमेश्वर मिस्त्री के पुत्र नितेश कुमार के रूप में हुई है। घटना गुरुवार की रात की है। बैटरी ब्लास्ट होने की आवाज इतनी तेज थी की आसपास के घर भी दहल गया। जानकारी अनुसार नितेश कुमार गुरुवार रात 10 बजे में सोलर से बैटरी जोड़ रहा था। इसी क्रम अचानक ब्लास्ट हो गया।

प्रपत्र सं. 22 [विनियमन 37(1)]
बिक्री की घोषणा
रांची में ऋण वसूली न्यायाधिकरण, झारखण्ड में वसूली अधिकारी का कार्यालय
मामला सं. ओ.ए. केस सं. 16 ऑफ 2013 में वसूली प्रक्रिया सं. 27 ऑफ 2018
आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के साथ पठित बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 के अनुसार बिक्री की घोषणा
पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता
बनाम
मैसर्स पटनी सीट गृह प्रा. लि. एवं अन्य

प्रति,

ए. मैसर्स पटनी सीट गृह प्रा. लि., पटनी शीट गृह प्रा. लि. के नाम से भी ज्ञात, कपंनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एक कंपनी, कार्यालय रांची रोड, डाकघर मरार, जिला-रामगढ़-829122

बी. इंद्रा देवी जैन, पति स्वर्गीय रमेश कुमार जैन, आवास रांची रोड, डाकघर मरार, थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़-829122

सी. श्री परवीन कुमार जैन, पिता रमेश कुमार जैन, आवास रांची रोड, डाकघर मरार, थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़-829122

डी. श्री संजय कुमार जैन, पिता श्री भाग चंद जैन, आवास रांची रोड, डाकघर मरार, थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़-829122

ई. श्री दीपक कुमार जैन, पिता श्री भाग चंद जैन, आवास रांची रोड, डाकघर मरार, थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़-829122

1. चूंकि **पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची** द्वारा जारी **ओ.ए. केस नं. 16 ऑफ 2013** में वसूली प्रमाणपत्र के संबंध में प्रमाणपत्र के अनुसार आपके द्वारा भुगतेय **रु. 7,51,18,207.00 (रुपये सात करोड़ इक्यावन लाख अट्ठारह हजार दो सौ सात मात्र)** के साथ उस पर ब्याज एवं देय लागत की रकम चुकता करने में आप विफल हो चुके हैं।
2. तथा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र की संतुष्टि में नीचे अनुसूची में उल्लेखित कुर्क की गई सम्पत्ति की बिक्री के आदेश जारी किया है।
3. तथा चूंकि दिनांक **13.01.2022** को **रु. 7,51,18,207.00 (रुपये सात करोड़ इक्यावन लाख अट्ठारह हजार दो सौ सात मात्र)** के साथ दिनांक 13.01.2013 से दावे की रकम की अंतिम वसूली तक मासिक विराम के साथ प्रतिवर्ष 10% की दर से वादाकालीन तथा भविष्य के ब्याज के अलावा रु. 1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र), प्रमाणपत्र के अनुसार, की रकम बकाया होगी।
4. **एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी भी तरह के स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में ई-नीलामी द्वारा उक्त सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी तथा बोलियां मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लि. की वेबसाइट https://drt.auctiontiger.net के जरिए "ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" दिनांक 10.03.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक लगाई जाएगी साथ में जरूरत पड़ने पर दोपहर 12 बजे के उपरांत 5 मिनट की अवधि विस्तारित की जाएगी।**
और अधिक विवरण के लिए वसूली अधिकारी का कार्यालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची, सम्पर्क नं. 0651-2214021, मोबाइल नं. 9431106777 से सम्पर्क करें तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए सुदीप कुंडू, अधिकृत प्रतिनिधि, पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि., कोलकाता से सम्पर्क करें।

4.1 ऊपर नामित प्रमाणपत्र कर्जदार की नीचे अनुसूची में किए गए उल्लेखित सम्पत्ति तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में अब तक ज्ञात देनदारियां तथा दावों, जिसका उल्लेख प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में किया गया है, के साथ संबंधित सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी।

4.2 अनुसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार सम्पत्ति लॉट में बिक्री के लिए रखी जाएगी। सम्पत्ति के एक हिस्से की बिक्री से अगर संतोषजनक रकम की वसूली होती है, तो शेष बची हुई सम्पत्ति की नीलामी अविलम्ब रोक दी जाएगी। उक्त प्रमाणपत्र में उल्लेखित बकाया राशि, ब्याज की लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री संचालनकर्त्ता अधिकारी को प्रदान करने अथवा संबंधित प्रमाणपत्र की कीमत, ब्याज तथा लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरी के पास जमा किए जाने से संबंधित संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर किसी भी लॉट के नॉक डाउन से पहले उसकी बिक्री रोक दी जाएगी।

4.3 बिक्री के संबंध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का कार्य करने वाला अन्य कोई भी अधिकारी अथवा व्यक्ति बिक्री की गई सम्पत्ति में कोई हित अर्जित करने अथवा अर्जित करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों तथा उसके अधीन गठित नियम तथा नीचे उल्लिखित शर्तों के अनुसार संचालित होगी।

4.4 संलग्न अनुसूची में निर्धारित विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी में जारी किया गया है। परंतु अधोहस्ताक्षरी इस घोषणा के संबंध में किसी भी तरह की त्रुटि, गलत विवरण अथवा भूल के लिए जवाबदेह नहीं होगा।

5 (क) आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी का **विवरण नीचे उल्लेखित** है

अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
अनुसूची 'सी' बिक्री विलेख सं. 1259, दिनांक 23.01.2002 के तहत प्रमाणपत्र कर्जदार नं. 1 पटनी शीट गृह प्रा.लि. के नाम पर गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति। गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति का विवरणः (1) ग्रामः सेवता, थाना-मांडू (थाना नं. 147), जिलाः रामगढ़, खाता नं. 58, प्लॉट नं. 954, क्षेत्रफल 0.063 एकड़, प्लॉट नं. 955, क्षेत्रफल 0.105 एकड़, खाता नं. 62, प्लॉट नं. 956, क्षेत्रफल 0.043 एकड़, प्लॉट नं. 961, क्षेत्रफल 0.200 एकड़, खाता नं. 64, प्लॉट नं. 963, क्षेत्रफल 0.150 एकड़, खाता नं. 96, प्लॉट नं. 964, क्षेत्रफल 0.061 एकड़, खाता नं. 58, 62, 64 एवं 96 का कुल क्षेत्रफल 0.622 एकड़। (2) ग्रामः मरार, थाना-रामगढ़ (थाना नं. 144), जिला-रामगढ़, खाता नं. 39, प्लॉट नं. 134, क्षेत्रफल 0.016 एकड़, खाता नं. 1, प्लॉट नं. 135, क्षेत्रफल 0.043 एकड़, खाता नं. 39 एवं 1 का कुल क्षेत्रफल 0.059 एकड़ है।	रु. 3,87,00,000	रु. 38,70,000
अनुसूची 'डी' बिक्री विलेख सं. 1457, दिनांक 28.01.2002 के तहत प्रमाणपत्र कर्जदार नं. 1 पटनी शीट गृह प्रा.लि. के नाम पर गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति। गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति का विवरणः (1) ग्रामः सेवता, थाना-मांडू (थाना नं. 147), जिलाः रामगढ़, खाता नं. 62, प्लॉट नं. 956, क्षेत्रफल 0.070 एकड़, प्लॉट नं. 961, क्षेत्रफल 0.100 एकड़, खाता नं. 96, प्लॉट नं. 964, क्षेत्रफल 0.119 एकड़, खाता नं. 62 एवं 96 का कुल क्षेत्रफल 0.289 एकड़। (2) ग्रामः मरार, थाना-रामगढ़ (थाना नं. 144), जिला-रामगढ़, खाता नं. 1, प्लॉट नं. 135, क्षेत्रफल 0.131 एकड़।		

6. **इच्छुक बोलीदाताओं को ईएमडी के साथ पैन कार्ड, पहचान के साक्ष्य, पता के साक्ष्य इत्यादि तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि अथवा कंपनी के प्रतिनिधित्व/अटर्नी प्रदान करने की पुष्टि करने वाला कोई भी दस्तावेज दिनांक 08.03.2022 को अपराह्न 4.00 बजे से पहले वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पास जमा करना होगा तथा तदुपरांत वे दिनांक 10.03.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। अगर बोली नीलामी के बंद के समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है तो बंद होने का समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए विस्तारित हो जाएगा।**
7. **ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट की शक्ल में वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पक्ष में वसूली अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, पांचवीं मंजिल, आरआरडीए बिल्डिंग, कचहरी चौक, रांची के समक्ष जमा करना होगा।**
8. बोली वृद्धि की रकम **प्रत्येक अनुसूची के लिए रु. 5,00,000/-** होगी। बोली की रकम अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर लॉट को दोबारा नीलामी के लिए रखा जाएगा।
9. असफल बोलीदातागण अपनी ईएमडी की राशि ई-नीलामी बिक्री की प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची से सीधे प्राप्त कर सकते हैं।
10. सफल बोलीदाता/सर्वोच्च बोलीदाता को ईएमडी के समायोजन के उपरांत वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पक्ष में बोली/बिक्री रकम की 25% राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर तैयार रखना होगा तथा उसे बैंक के अगले कार्यकारी दिवस को अपराह्न 4.00 बजे तक इस न्यायाधिकरण के पास जमा करना होगा अथवा **चालू खाता नं. 31598921087, भारतीय स्टेट बैंक, इंद्रपुरी शाखा, रांची में,** आर. पी. सं. 27 ऑफ 2018 के पक्ष में **आरटीजीएस के जरिए** करना होगा, अन्यथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
11. सफल बोलीदाता/सर्वोच्च बोलीदाता को सम्पत्ति की नीलामी की तारीख से, संबंधित दिवस को छोड़कर, 15 दिनों के अंदर अथवा 15वां दिन के रविवार अथवा छुट्टी का दिन रहने पर 15वें दिन के बाद वाले प्रथम कार्यालय दिवस को वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पास बिक्री रकम के शेष 75% राशि **वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पक्ष में अथवा चालू खाता नं. 31598921087, भारतीय स्टेट बैंक, इंद्रपुरी शाखा, रांची,** आर. पी. सं. 27 ऑफ 2018 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में अथवा आरटीजीएस के जरिए जमा करना होगा। साथ में रजिस्ट्रार, डीआरटी, रांची के पक्ष मे रु. 1,000/- तक 2% की दर से तथा संबंधित सकल रकम के 1,000/- से अधिक रहने पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क जमा करना होगा। (डाक द्वारा शेष 75% की राशि जमा किए जाने पर संबंधित रकम ऊपरोक्त वसूली अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए)।
12. निर्धारित अवधि के अंदर भुगतान करने में विफल रहने पर, नए सिरे से बिक्री की घोषणा जारी कर सम्पत्ति की पुनः बिक्री की जाएगी। बिक्री पर हुए खर्च की रकम की कटौती के उपरांत जमा राशि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उचित समझे जाने पर सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा असफल क्रेता के सम्पत्ति से संबंधित सभी दावों अथवा बाद में बिक्री की जाने वाली की रकम के किसी भी हिस्से पर के दावे को समाप्त कर दी जाएगी।
13. सर्वोच्च बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्ते कि उनकी द्वारा लगाई गई बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावित रकम के स्पष्ट रूप से अपर्याप्त पाए जाने पर सर्वोच्च बोली को स्वीकार/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास है।
14. सम्पत्ति की बिक्री "जैसे है जहां है" के आधार पर की जाएगी।
15. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए अनुचित पाए जाने पर किसी भी अथवा सभी बोलियों को स्वीकार अथवा रद्द करने अथवा किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

मेरे हस्ताक्षर के अधीन 13 जनवरी, 2022 को रांची में इस न्यायाधिकरण की मुहर द्वारा जारी।

हस्ता/-
(कन्हैया कुमार)
वसूली अधिकारी